15/06/20

पत्रावली आज वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3, 4 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते नये वाद की अनुमति दिलाने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान के वाद में वादी सं. 05 द्वारा उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए विवादग्रस्त आराजी के खातेदारों से कुछ हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड क्रय किया गया जिससे वाद की प्रकृति में परिवर्तन होने से उक्त वाद विड्रो कर नया वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिससे खातेदारों (वादीगण) को सही तरीके से उसका क्रय सुदा हिस्सा प्राप्त होगा तथा न्यायालय श्री हाजा को न्याय करने में सहुलियत होगी।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि न्यायहित में उक्त वाद विड्रो कर नया वाद पेश करने की अनुमति दिलावे।

न्यायहित में वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3, 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वाद विड्रो करते हुए नया वाद पेश करने की अनुमति दी जाती है। उक्त वाद विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो, संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर
धौलपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2020.07.06 15:32:55 IST
Reason: SelfAttested